न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 30/2023

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

1. हनुमान प्रसाद पुत्र जयराम उर्फ जैराम
2. रामचन्द्र पुत्र जयराम उर्फ जैराम
3. जगदीश प्रसाद पुत्र जयराम उर्फ जैराम

समस्त जाति ढोली निवासीगण ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम मनीष गर्ग पुत्र श्री बोदूराम गर्ग जाति अग्रवाल निवासी गली नं. 6, न्यू गोविन्द नगर, रामगंज तहसील व जिला अजमेर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र जगन्नाथ
2. रामदेव पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

3. श्रीमती कुसुम अग्रवाल पत्नी श्री रामप्रकाश अग्रवाल निवासी 62, बर्मिज कॉलोनी, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
4. भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

——असल अप्रार्थीगण

6. रामलाल पुत्र रामसुख पौत्र स्व. हजारी
7. लक्ष्मण पुत्र रामसुख पौत्र स्व. हजारी
8. सीता पुत्री रामसुख पौत्री स्व. हजारी

समस्त जाति ढोली निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर।

——तरतीबी अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी — अभिभाषक वादी

निर्णय

दिनांकः— 28/06/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसके चौसाला संवत 2019 से 2022 की खाता संख्या 441 के खसरा नंबर 1380 रकबा 4–14–10 बीघा किस्म बारानी–1, वर्किंग संवत 2041 की खाता संख्या 140 के खसरा नम्बर 1445 रकबा 4–14–10 बीघा किस्म बारानी 1 व आधार संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 422 नई व पुरानी के खसरा नंबर 2028 रकबा 0.7600 है. किस्म बारानी–1 है। ग्राम माकडवाली की चौसाला जमाबंदी संवत 2019 से 2022 की खतौनी संख्या 441 के खसरा नम्बर 1380 के खातेदार काश्तकार जयराम व हजारी पिसरान बगता कौम ढोली साकिनदेश खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड थी, किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री तथा बिना किसी विधिक अन्तरण पत्र के वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के स्व. पिता जगन्नाथ वल्द सुवा कौम गुर्जर के नाम गैर कानूनी रूप से अंकित कर दी। उक्त गैर कानूनी अंकन का अवांछित लाभ उठाकर जगन्नाथ वल्द सुवा जाति गुर्जर ने गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2005 को अन्तरण कर दी जबकि वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 की खाता संख्या 140 में अंकित आराजी खसरा नंबर 1445 में लाल स्याही से उक्त खसरा नंबर के सम्मुख जयराम व हजारी पिता बगता ढोली के नाम दर्ज होना चाहिए स्पष्ट नोट लगा हुआ था जिसे नजर अन्दाज कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता ने राजस्व एजेन्सी से सांठ गांठ कर अवैध व गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या 3 को अन्तरित कर दी उक्त अन्तरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने हक में नामान्तरकरण संख्या 808 दिनांक 02.03.2006 को भरवा लिया किन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक अजमेर तृतीय ने जांच में पाया कि वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 140 खसरा नंबर 1445 के सामने लाल स्याही से "जयराम व हजारी पिता बगता ढोली का अंकन दर्ज हो रखा है अतः नामान्तरकरण अस्वीकार योग्य है" उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत माकडवाली द्वारा दिनांक 20.03.2006 को नामांतरकरण खारिज करने के आदेश पारित किये गए किन्तु इसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 3 ने तत्कालीन हल्का पटवारी माकडवाली से खारिजशुदा नामांतरकरण का अंकन तत्कालीन जमाबंदी में गैर कानूनी रूप से नोट अंकित करवा लिया।

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

तत्पश्चात वादग्रस्त आराजीयात की आधार जमाबंदी संवत 2073 से 2076 (वर्ष 2019) की खाता संख्या 422 के काश्तकार के कॉलम में बिना किसी आधार के अपने आपको खातेदार काश्तकार गैर कानूनी रूप से अंकित करवा लिया। उपरोक्त सम्पूर्ण अविधिक व गैर कानूनी कार्यवाही को प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात का सह खातेदार/सह काश्तकार उदघोषित करवाने हेतु उक्त उनवानी वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी/दुरस्ती इन्द्राज बहक प्रार्थीगण. व तरतीबी अप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे है लेकिन वर्तमान में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीण को जबरन बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने, अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने, भूमि की शक्ल व किस्म परिवर्तित करने, प्लाट काटने तथा निर्माण कार्य करवाने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी सह खातेदारी/सह काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेगें। जिससे प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। जिससे असल अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है जिस हेतु उक्त उनवानी वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण विरूद्ध असल अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाने हेतु उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, जबरन अतिक्रमण करने, बेदखली का नाजायज प्रयास करने एवं रहन, बेचान, मुंतकिल अथवा पंजीकृत या अपंजीकृत दस्तावेज के तहत अन्यत्र हस्तांतरण करने, भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने, निर्माण कार्य करने एवं रिकार्ड तथा मौके पर परिवर्तन करने से असल अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द फरमाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में नोटिस तामिली के उपरान्त अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध दिनांक 20.06.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 28.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 फॉर्मल पक्षकार होने के कारण इनका जवाब बन्द कर प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण मे प्रथम दृष्ट्या सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद पत्र के अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से को पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी, रहन, बेचान, मुंतकिल या हस्तांतरण, निर्माण कार्य नही करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner